के.आ/.के.आ/.सू.अ/2014/102 दिनांक : 8 सितम्बर, 2014

श्री राम निवास,
सपुत्र श्री वायचायलाल
निवासः विक्रानपुर, निगोली,
तिलहार, शाहजाह

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना .**

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20.8.2014 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी मांगी है ।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार सरकार का एक उद्यम है जोकि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के आधीन काम करता है । पावरग्रिड जोकि एक सीटीयू है, अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली की आयोजना तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी है । पावरग्रिड केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओ तथा विभिन्न आईपीपी से विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली की व्यवस्था करने तथा ग्रिड सुदृढीकरण योजना के अलावा अंतर-राज्य ग्रिड बनाने के लिए तथा प्रचालन के लिए भी उत्तरदायी है ।

पावरग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम 2003 के आधीन करता है । पावरग्रिड ट्रांसमिशन टैरिफ केन्द्रीय विनयामक आयोग के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित होता है। केन्द्रीय विनयामक आयोग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश रेगुलेशन सीईआरसी की वेबसाइट www.cerc.gov.in पर उपलब्ध है इसके अलावा पावरग्रिड द्वारा लोंग टर्म एक्सेस (LTA) से संबंधित जारी किये गये रेगुलेशन, पावरग्रिड की वेबसाइट www.powergridindia.com पर देखे जा सकते है । यदि आपको कोई विशिष्ट दस्तावेज चाहिए तो उसे मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जा सकता है ।

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार :

श्री बी. मिश्रा

कार्यपालक निदेशक (के.आ. एवं आईटी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी ,'प्लाट नं ,2 .सैक्टर ,29-
गुड़गांव ,122001-हरियाणा

धन्यवाद ।

भवदीय,

(सुधीर मित्तल)
महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

प्रतिलिपि:
श्री एस बेंजामीन
सीपीआईओ एवं अवर सचिव (आरटीआई)
विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली 110 001